प्रेस&विज्ञप्ति 23.06.2017

दिनांक 24 जून, 2017 को अपरान्ह **03:30 बजे** से मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वाधान में **जी.एस.टी.** पर सत्र का आयोजन किया गयाA

श्री विवेकानन्द शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर, ने सूचित किया कि जी.एस.टी. को हम वैट का विस्तृत प्रारूप कह सकते है बल्कि इसमें कुछ प्रावधान एक्साइज विभाग से भी लिए गए है, जो कि हर प्रान्त में लागू होगीA उन्होंने बताया कि आज का सत्र जी.एस.टी. में I.T.C. का क्लेम पाने से सम्बंधित विषय पर हैA श्री शुक्ला ने बताया कि क्योकि अभी तक C.S.T. के प्रावधानो में I.T.C. से सम्बंधित कोई भी प्रावधान न होने के कारण पूर्व में दिए गए C.S.T. पर I.T.C. क्लेम नहीं की जा सकती हैA श्री शुक्ला ने बताया कि G.S.T.में I.T.C. सिर्फ उसी कर के अनुरूप मिलेगी जिसमे व्यापारी पूर्व में पंजीकृत थाA श्री शुक्ला ने बताया कि व्यापारी इनवॉइस को कंप्यूटर पर उपस्थित कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेर से या हाथ से बना सकते है लेकिन इनवॉइस को कंप्यूटर पर बनाना तुलनात्मक रूप से अधिक सरल होगा और जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर सिर्फ सेल या सप्लाई को अपलोड करना है न कि यह पोर्टल बिल बनाने समबन्धी सुविधा प्रदान करेगाA और जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर सप्लाई अपलोड करने के पश्चात यह पोर्टल स्वतः अपलोड किये गए डेटा का लेजर बनायेगीA

श्री प्रेम मनोहर गुप्ता ने पूछा कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरे प्रांत से किसी व्यापारी से मंगाई गयी है और उसने माल वहां से भेज दिया लेकिन उस व्यापारी से कोइ विवाद होने की दशा में वह माल मंगाए गए व्यापारी के जी.एस.टी.ऍन पोर्टल पर अपलोड किये गये डेटा में दिखने लगेगा (जो कि दूसरे प्रांत के व्यापरी द्वारा जी.एस.टी.एन. पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा), जबकि वह वस्तु वास्तव में अभी उस व्यापारी के पास पहुचा ही नहीं जिसने मंगाया था, इस दशा में उस व्यापारी को क्या होल्ड का विकल्प मिलेगाA
इस सवाल पर श्री विवेकानन्द शुक्ला ने बताया कि माल मंगाने वाले व्यापारी को परचेस पर होल्ड का विकल्प मिलेगा तथा साथ ही साथ 90 दिन की समय-सीमा दी जायेगी, जिससे कि विवाद का निपटारा हो सकेA

मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा वाणिज्य कर विभाग को H.S.N. Code, G.S.T.N. पोर्टल से बनने वाले ई-वे बिल को समाप्त करने, इनपुट टैक्स क्रेडिट के क्लेम, कैपिटल गुड्स पर I.T.C. का क्लेम, जी.एस.टी. ररिजीम के अंतर्गत I.T.C. के क्लेम को सारी फॉरवर्ड करने, अभियोजन के उदारीकरण और पैनल की वार्ता, कर की दर को उदार करने न कि कर को बढाने, एक्सपोर्ट रिफण्ड, टेक्सटाइल पर जी.एस.टी. कर को समाप्त करने के विषय पर ज्ञापन दिया गयाA

सत्र का संचालन श्री संतोष गुप्ता, सदस्य, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश ने किया तथा श्री गुप्ता ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वाणिज्य कर विभाग जी.एस.टी. से सम्बंधित समस्या का समाधान करने के लिए व्यापारियों के लिए उपलब्ध है और साथ ही साथ मर्चेंट्स चैम्बर के कार्यलय में भी व्यापारीगण सहायता प्राप्त कर सकते है A

सत्र में उपस्थित गणमान्य: श्री वी.के. मिश्र, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड -2, वाणिज्य कर, कानपुर, श्री वाहिद अली, एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड -2, ग्वाणिज्य कर, कानपुर, श्री विशाल पुंडीर, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर, श्री अमित पाठक, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर, श्री योगेश विजय, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर

श्री बी.डी. शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, कानपुर, श्री पदम् कुमार जैन, अध्यक्ष - एम.सी.यू.पी., श्री बी.के. लाहोटी, उपाध्यक्ष - एम.सी.यू.पी., श्री मुकुल टंडन, श्री उमेश पाण्डेय, श्री शेष नारायण त्रिवेदी, मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्यगण, वाणिज्य कर विभाग के अधिकारीगण, तथा कानपुर की अन्य व्यापारिक संस्था के प्रतिनिधिगण उपस्थित थेA

सधन्यवाद
मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश